संoसंo–4 / श्रoसांoमूo–107 / 2018 श्रoसo 835

बिहार सरकार

श्रम संसाधन विभाग।

प्रेषक,

सतीश कुमार शाही,
सरकार के अवर सचिव

सेवा में,

उप सचिव,
पंचायती राज विभाग,
बिहार, पटना।

पटना, दिनांक– 9-4-2019

विषय:– **त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को निधि, दायित्व एवं कर्मियों के प्रतिनिधायन के संबंध में।**

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या–2420 दिनांक–08.04.2019 के प्रसंग में श्रम संसाधन विभाग का प्रतिवेदन संलग्न कर प्रेषित किया जाता है।

अनुलग्नक–यथोक्त

विश्वासभाजन,

9.4.19

(सतीश कुमार शाही)
सरकार के अवर सचिव,

M-243

6.6 पंचायती राज विभाग :–

- ग्राम पंचायत से अकेले या अपने परिवार के साथ या किसी अन्य व्यक्ति के साथ प्रवासन करने वाले बच्चों एवं किशोरों की बावत पंचायत कार्यालय में एक रजिस्टर संधारित की जाएगी और उसे नियमित रूप से अद्यतन किया जायेगा।
- रजिस्टर में बाल श्रम से विमुक्त बाल एवं किशोर श्रमिकों के उनके परिवारों से मिलान और/या विद्यालयों में नामांकन से संबंधित कर्णांकित पृष्ठ होंगे।
- ग्राम पंचायत ऐसे सभी विमुक्त बाल/किशोर श्रमिकों का शैक्षणिक एवं आर्थिक पुनर्वास का अनुश्रवण करेंगे और ऐसे उपाय करेगें जिससे यह सुनिश्चित हो कि विमुक्त बच्चे फिर से काम पर वापस न लौट सके। पंचायत सचिव इस रजिस्टर के संरक्षक होगें।
- विभिन्न स्कीमों/विधानों/कार्यक्रमों के अधीन परिकल्पित ग्राम पंचायत स्तर पर सभी बाल संरक्षण संकल्पनाएँ जैसे– ग्राम पंचायत बाल संरक्षण समिति आदि को सुदृढ़ किया जाना।
- बाल/किशोर श्रमिक का मुद्दा पंचायतों के निर्वाचित प्रतिनिधियों राज्य एवं जिला, प्रखंड स्तर के पदाधिकारी के प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों में अन्तर्विष्ट किया जाना।
- ग्रामीण जनता को संवेदनशील बनाने के लिए बाल/किशोर श्रमिकों के मुद्दे पर नियमित जागरूकता कार्यक्रम चलाया जाना।

8.3 प्रखंड एवं ग्राम पंचायत टास्क फोर्स –

प्रत्येक प्रखंड में पंचायत समिति के प्रमुख की अध्यक्षता में एक टास्क फोर्स गठित किया जायेगा। प्रखंड विकास पदाधिकारी को इसके सह अध्यक्ष होंगे। उस प्रखंड के अधिकार क्षेत्र के अन्तर्गत आने वाले नगर पंचायतों के अध्यक्ष भी इस समिति के सह अध्यक्ष होंगे। सभी संबंधित विभागों के प्रखंड स्तर पदाधिकारी और नगर पंचायतों के कार्यपालक पदाधिकारी इसके सदस्य होगे। संबंधित प्रखंड के श्रम प्रवर्त्तन पदाधिकारी समिति के सदस्य सचिव होगे और प्रत्येक माह बैठक बुलाने तथा संबंधित जिला टास्क फोर्स/श्रम अधीक्षक को प्रतिवेदन भेजने की उनकी जिम्मेवारी होगी।

प्रखंड स्तरीय टास्क फोर्स का कार्य –

यह टास्क फोर्स, जिला टास्क फोर्स के सामान्य नियंत्रण एवं पर्यवेक्षण के अधीन अपने क्षेत्रान्तर्गत बाल/किशोर श्रमिकों की पहचान विमुक्ति और पुनर्वास तथा कामकाजी बच्चों की शिक्षा के संबंध में कार्य योजना बनायेगें, उसका कार्यान्वयन करेगें, समन्वय स्थापित करेगें और इससे संबंधित जानकारी रखेगें। वे गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों का भी अनुश्रवण करेगें ताकि यह सुनिश्चित हो कि सभी ऐसे स्कीमों और कार्यक्रमों के लाभ–गरीबों तक पहुँच सके।

इसी तरह का एक टास्क फोर्स प्रत्येक ग्राम पंचायत में मुखिया की अध्यक्षता में गठित किया जायेगा। पंचायत सचिव इस ग्राम पंचायत स्तरीय टास्क फोर्स के सदस्य सचिव होगे। इस टास्क फोर्स के अन्य सदस्यों में सभी वार्ड सदस्य, पंचायत के अधिकार क्षेत्र के अन्तर्गत अवस्थित प्रारंभिक विद्यालय, प्राथमिक विद्यालयों और माध्यमिक विद्यालयों के प्रधानाध्यापक, ऑगनबाड़ी सेविका, विकास मित्र, टोला सेवक, आशा, पंचायत रोजगार सेवक, किसान मित्र, शिक्षा मित्र और विद्यालय प्रबंधन समिति के सदस्य सम्मिलित होगे।

ग्राम पंचायत स्तरीय टास्क फोर्स का कार्य :–

यह टास्क फोर्स प्रखंड स्तरीय टास्क फोर्स के सामान्य नियंत्रण एवं पर्यवेक्षण के अधीन अपने क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत बाल/किशोर श्रमिकों की पहचान विमुक्ति और पुनर्वास तथा कामकाजी बच्चों की शिक्षा के संबंध में कार्य योजना बनायेंगे, उसका कार्यान्वयन करेंगे, समन्वय स्थापित करेंगे और इससे संबंधित जानकारी रखेगें। वे गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों का भी अनुश्रवण करेगें ताकि यह सुनिश्चित हो कि सभी ऐसे स्कीमों और कार्यक्रमों का लाभ गरीबों तक पहुँच सके। यह टास्क फोर्स बाल/किशोर श्रम के उन्मूलन के लिए सामुदायिक लाभबंदी की प्राथमिक इकाई के रुप में कार्य करेगा और विद्यालय प्रबंधन समिति तथा बाल श्रमिकों के माता–पिता के साथ मिलकर बहुत नजदीकी रूप में कार्य करेगा ताकि यह सुनिश्चित हो कि सभी बच्चे विद्यालय जाये और बाल/किशोर श्रम (प्रेतिषेध एवं विनियमन) अधिनियम, 1986 के उपबंध के उल्लंघन में किसी बच्चें को मजदूरी में नहीं लगाया जाये।

बैठक –

इन टास्क फोर्स की बैठक महीने मे कम से कम एक बार अध्यक्ष द्वारा निश्चित किये गये स्थान एवं समय पर होगी।